प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.07.2026

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से 322.25 ग्राम अवैध स्मैक एवं घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 14.07.2026 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर **अवैध स्मैक** के साथ एक अभियुक्त **मौहम्मद जाहिद पुत्र मौहम्मद हारून, उम्र करीब 29 वर्ष**, निवासी गली नं. 18, बी ब्लॉक, खजूरी, थाना खजूरी, दिल्ली को इन्दिरापुरम अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **322.25 ग्राम अवैध स्मैक** तथा घटना में प्रयुक्त **01 मोटरसाइकिल (अपाचे)** बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ा पर धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में जानकारी की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह स्मैक वसुन्धरा क्षेत्र निवासी **अजय चौधरी उर्फ संजू उर्फ बाबा** से लाता था तथा उसे छोटी-छोटी पुड़ियों में पैक कर नशा करने वाले लोगों को अधिक कीमत पर बेचता था। बिक्री से होने वाले लाभ से वह अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण तथा अन्य व्यक्तिगत खर्च पूरे करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

मौहम्मद जाहिद पुत्र मौहम्मद हारून निवासी गली नं0 18 बी ब्लाक खजूरी थाना खजूरी दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता:-

- अजय चौधरी उर्फ संजू उर्फ बाबा (वांछित)।

बरामदगी का विवरण:-

- 322.25 ग्राम अवैध स्मैक।
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल (अपाचे)।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध इस संबंध में थाना खोड़ा पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विरुद्ध दिल्ली में चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत होना प्रकाश में आया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

थाना खोड़ा पुलिस टीम।

गाजियाबाद पुलिस का अपराध के विरुद्ध सशक्त अभियान

स्वॉट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत अवैध असलाह व कारतूस की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 3 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह कारतूस, महेन्द्रा थार गाड़ी बरामद

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में प्रचलित "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के नेतृत्व में स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना लोनी पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में दिनांक-14.07.2026 को थाना लोनी क्षेत्र से अवैध असलाह व कारतूस की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार

अभियुक्तो के कब्जे से 06 अदद नाजायज पिस्टल मय मैगजीन .32 बोर मय 20 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद नाजायज पिस्टल .30 वोर मय मैगजीन मय 02 अदद जिन्दा कारतूस तथा एक काले रंग की महेन्द्रा थार गाड़ी बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लोनी पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों अरूण, रंजीत व अभिषेक ने पूछताछ करने पर बताया कि यह तीनों एक साथ मिलकर अवैध असलाह कारतूसों की तस्करी का काम करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त **अभिषेक शर्मा** ने बताया कि उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है तथा हयात एन्कलेव थाना अंकुर विहार में उसका ऑफिस है। रंजीत भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। प्रॉपर्टी के काम में ही उसकी मुलाकात रंजीत से हुई थी और रंजीत के माध्यम से अरूण से हुई। वह दिल्ली जेल बन्द कुख्यात अपराधी उमेश शर्मा उर्फ उमेश पण्डित निवासी राम पार्क ट्रोनिका सिटी के साथ लम्बे समय से जुड़ा है। उमेश पंडित के दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद उसके कहने पर अवैध पिस्टलों की गाजियाबाद व दिल्ली में सप्लाई कर रहा हूँ। अरूण के दोस्त रितिक के माध्यम से हम असलाह मंगाते हैं। इसके बाद उमेश द्वारा बताये गये व्यक्ति को असलाह पहुँचाते है। एक असलाह हम 30-35 हजार रू0 में खरीदते है और उसे आगे 50-55 हजार रू0 में बेच देते है। अब तक लगभग 20 असलाहों की सप्लाई हम लोगों के द्वारा पिछले 01 साल में की जा चुकी है।

अभियुक्त **अरूण** ने बताया कि वह असलाह - कारतूस थाना भवन शामली निवासी रितिक से लाकर रंजीत व अभिषेक के साथ मिलकर डिमाण्ड के अनुसार सप्लाई करते है। कुछ अवैध असलाह कारतूस हम लोग सुनील पहलवान निवासी खड़खड़ी को भी उसकी डिमाण्ड पर दे चुके है।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह लोग अवैध असलाह कारतूस को खरीदने बेचने का काम लगभग 01 साल से कर रहा हूँ। इस बार भी इनसे बरामद असलाह व कारतूसों यह लोग रितिक से लेकर आगे सप्लाई के लिए आ रहे थे कि उन्हे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

अभियुक्त का नाम व पता

1.अरूण कुमार पुत्र जगरोशन सिंह निवासी म0नं0-16 गली न0- 01 राजीव गार्डन इन्द्रापुरी थाना बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब-46 वर्ष

2.रंजीत राय पुत्र जगदीश राय निवासी ए-580 सुधीर एंक्लेव राम पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 39 वर्ष

3.अभिषेक शर्मा उर्फ मोटू पुत्र ओमकार शर्मा निवासी म0न0-251 गली नं0-5 ब्राहम्ण मौहल्ला सभापुर थाना सोनिया विहार दिल्ली-95 उम्र करीब 29 वर्ष

आपराधिक इतिहास – अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध मे जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1.नाजायज पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन- 06 अदद

2.नाजायज जिन्दा कारतूस .32 बोर- 20 अदद

3.नाजायज पिस्टल .30 बोर मय मैगजीन- 01 अदद

4.नाजायज जिन्दा कारतूस 7.62 बोर- 02 अदद

5.एक अदद गाडी महेन्द्रा थार रजिस्ट्रेशन नं0-DL 7CW 0480

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.स्वॉट टीम, अपराध शाखा, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना लोनी पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

पुरस्कार- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/ यातायात द्वारा पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु रू0 50000/- नगद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र की घोषणा की गयी है।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 07 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री उम्मेद कुमार सिंह थाना इन्दिरापुरम द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत् समन्वय के साथ सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री आदेश त्यागी द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना इन्दिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 307/34 भादवि में अभियुक्त रहीस अहमद पुत्र नसरु निवासी- पानी की टंकी (नुरानी मस्जिद) लोक प्रिय विहार खोडा कॉलोनी, थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0- 03 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 14.07.2026 को धारा- 307/34 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी के ससुर के ऊपर जान से मारने की नियत तंमचे से फायर कर घायल कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 28.01.2014 को थाना इन्दिरापुरम पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री आदेश त्यागी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	**म0मु0आ0 रेनू** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 पौरुष कुमार** पैरोकार थाना इन्दिरापुरम